www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 26.06.2017

सीबीआई ने कथित घूसखोरी में डी.आर.टी. के वसूली अधिकारी एवं एक प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने कथित घूसखोरी में डी.आर.टी., मुम्बई के वसूली अधिकारी एवं उनके साथी (एक प्राइवेट व्यक्ति) को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि वसूली अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 7,00,000 रू. की माँग की एवं शिकायतकर्ता के मुवक्किल के पक्ष में भुगतान जारी करने हेतु उक्त घूसराशि को चेक के माध्यम से एक प्राइवेट व्यक्ति (मध्यस्थ) को देने के लिए उसे निर्देश दिया। ऐसा भी आरोप था कि आरोपी ने मध्यस्थ व्यक्ति से शिकायतकर्ता का परिचय कराया और उसके निर्देशों पर, सात लाख रू. का चेक जारी किया एवं मध्यस्थ व्यक्ति (प्राइवेट व्यक्ति) को सौपा।

उक्त वसूली अधिकारी के आवासीय परिसर पर तलाशी के दौरान, 65 लाख रू. (लगभग) की सावधि जमा, 9 लाख रू. (लगभग) मूल्य का किसान विकास पत्र एवं कुछ सम्पत्ति के दस्तावेज बरामद हुए।

दोनो गिरफ्तार आरोपियों को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया और दिनांक 28.06.2017 तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया।

****